

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 2157 2704/2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5-11-2018

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल

विषय :- विधि एवं विधायी कार्य विभाग हेतु मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश क्र.एफ-3-4/2017/नि./चार दि. 23-11-2017

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार अनुसार कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में निम्नानुसार प्रत्यायोजन और जोड़े जाते है :-

Department of Law and Legislative Affairs				
Financial Powers in respect of District and Sessions Judges				
S. No.	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	Sanction purchase of Spare parts, accessories and other equipment for working of machine. (including Transport Vehicle)	Principal Judges of Family Courts	Full Power	
2.	Purchase of office supplies and equipment	Principal Judges of Family Courts	Up to Rs. 10.00 Lakh in a year	(Detail of items given in Annexure 3 of Book of financial powers volume-I 2012)

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुराग जैन)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

.....2.....

पृष्ठा. क्रमांक एफ-2168/2704/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5-11-2018

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

B-